कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / 05 दिनांक– 05.04.17

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
जिला शहरी विकास अभिकरण (DUDA), सहरसा
जिला– सहरसा

महाशय,

जिला शहरी विकास अभिकरण, सहरसा के 2009-10 से दिसम्बर 2016 तक के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 1203 / 16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

ह0

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0/1459/06 दिनांक– 05.04.17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, सहरसा

तनवीर हसन 05/04/17
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–1203 / 16–17
भाग–I

प्रस्तावना

1.	निरीक्षित कार्यालय का नाम	जिला शहरी विकास अभिकरण, सहरसा
2	लेखा की अवधि	2009-10 **से दिसम्बर 2016** तक
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	लेखापरीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची परिशिष्ट– I पर दी गई है।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	09-01-2017 **से** 17-01-2017 तक
5	कार्यपालक अभियंता का नाम	1. **श्री गिरिजा राम** जून 2009 से 31-10-2013 2. **श्री सुबोध कुमार राव** 01-11-2013 से 13-08-2014 3. **श्री आलम हुसैन** 13-08-2014 से 23-07-2016 4. **श्री के. के. नारायण** 23-07-2016 से 20-10-2016 5. **श्री ओमप्रकाश सिंह** 26-10-2016 से अब तक
6.	लेखापरीक्षा दल के सदस्यगण	1. **श्री रणधीर कुमार**, लेखापरीक्षक 2. **श्री कुमार अग्निवेश**, लेखापरीक्षक 3. **श्री बलराम रॉय**, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी 4. श्री मुकेश कुमार–III, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
7	पर्यवेक्षण पदाधिकारी	श्री भैरव कुमार, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
8	पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन की स्थिति	जिला शहरी विकास अभिकरण, सहरसा का यह प्रथम लेखापरीक्षा था।
9	लेखापरीक्षा टिप्पणी	जिन आपत्तियों का निष्पादन निरीक्षण स्थल पर नहीं हो सका उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल कर लिया गया है।
10	क्या आपत्तियों पर विचार–विमर्श हुआ	हॉ, दिनांक 17-01-2017 को

(10)

11. **वित्तीय संव्यवहार**

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), सहरसा द्वारा उपलब्ध कराए गए वित्तीय विवरणी के अनुसार डूडा, सहरसा द्वारा वर्ष 2009–10 से वर्ष 2016–17 (दिसम्बर 2016 तक) के दौरान वित्तीय संव्यवहार निम्नांकित था:–

(रू0 में)

विवरण	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16	2016–17 (दिसम्बर 2016 तक)
(1) प्रारंभिक शेष	0	16354325	7207422	11785597	9478505	24899992	31141625	24794121
(2) वर्ष की प्राप्ति	21716186	44941566	10170504	486100	24294974	43839034	29478899	4544399
(3) कुल प्राप्ति (1+2)	21716186	61295891	17377926	12271697	33773479	68739026	60620524	29338520
(4) व्यय	5361861	54088469	5592329	2793192	8873487	37597401	35826403	5820154
(5) अंतिम शेष (4–5)	16354325	7207422	11785597	9478505	24899992	31141625	24794121	23518366

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई जिला शहरी विकास अभिकरण, सहरसा द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखापरीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना/अभिलेख उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग– II (क)– शून्य

भाग– II (ख)

कंडिका (1) भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना व्यय रू0 19.54 लाख
योजना का नाम– नगर सरकार भवन सिमरी बख्तियारपुर का निर्माण
प्रशासनिक स्वीकृति :- मंत्रिपरिषद की बैठक 22.10.2013 (मद सं. 03)
(नगर वि. एवं आ. वि. पत्र सं. 53 दिनांक 15.09.2014)
प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :- Rs. 169.56 लाख
नगर पंचायत सिमरी बख्तियारपुर को विमुक्त राशि :- Rs. 169.56 लाख (पत्र सं. 53 दिनांक 15.09.2014)
कार्यान्वयन एजेंसी : जिला शहरी विकास अभिकरण, सहरसा
तकनीकी स्वीकृति : रू0 12278442/– एस.ई./डुडा सहरसा
टेंडर की तिथि :- प्रथम - 06.03.2014(01/13-14)

पुर्न निविदा - 30.07.2014 (01/14-15)

एकरारनामा सं.– 22एफ2 / 2014-15
कार्य प्रारंभ करने की तिथि– 14.02.2015
कार्य समाप्ति की निर्धारित अवधि– 15 माह
संवेदक का नाम– श्री सुरेश साह

शर्ते :-

1. एकरारनामा से पूर्व, भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार से निबंधन अनिवार्य
2. कागजात स्वहस्ताक्षरित एवं राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित होना
3. कोई आपराधिक मामला दर्ज ना हो
4. यंत्र संयत्र का स्वामित्व हो
5. गुण नियंत्रण/यंत्र संयंत्र का स्वामित्व हो
6. कम से कम एक डिप्लोमा(सिविल) एवं एक डिग्री(सिविल) अभियंता होना चाहिए

तकनीकी बिड खोलने की तिथि :- 25.08.2014

वित्तीय बिड खोलने की तिथि :- 29.08.2014

तकनीकी निविदा में सफल निविदाकार :- श्री सुरेश साह (अधीक्षण अभियंता का पत्र 14301 दिनांक 28.11.2014)

कार्यपालक अभियंता, DUDA, सहरसा पत्र 301 दिनांक17.09.2014 :- निविदा में प्राप्त कागजात अधीक्षण अभियंता, BUDA को भेजा गया ।

वित्तीय निविदा :- दिनांक 04.12.2014 को तुलनात्मक विवरणी तैयार किया गया जिसमे एक मात्र संवेदक श्री सुरेश साह को 0.17% कम पर कार्य आवंटित किया गया ।

एकरारनामा क लिए पत्र :- दिनांक 09.12.2014 (का.अभी.,डूडा) द्वारा श्री सुरेश साह को 10 दिनों के अन्दर एकरारनामा करने को कहा गया ।

भवन निर्माण विभाग में निबंधन के लिए अनुरोध :- दिनांक 01.01.2015

एकरारनामा की तिथि :- 14.02.2015

कार्य आरम्भ की तिथि :- 14.02.2015

कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि :- 13.05.2016

संवेदक को स्थल उपलब्ध कराने का पत्र :- का0अभि0, DUDA(95/03.03.2016)

(8

2nd entry in MB by JE(DUDA) :- 28.08.2016, Rs. 1954385 (upto 2nd account bill)

लेखापरीक्षा टिप्पणी–

डूडा द्वारा जमीन उपलब्ध न होने के बावजूद संवेदक को कार्य आवंटित किया गया। तकनीकी तथा वित्तीय बीड खोलने की तिथि के बाद टेंडर खोला गया। किस तिथि को टेंडर खोला गया। किसके समक्ष खोला गया, स्पष्ट नहीं किया गया। दोनों संवेदक का तकनीकी तथा वित्तीय बीड का कागजात अंकेक्षण को उपलब्ध नहीं कराया गया। एक संवेदक को तकनीकी बीड में असफल कर दिया गया तथा इस प्रकार मात्र एक ही संवेदक वित्तीय बीड के लिए शेष रहा जिसे कि कार्य सौंपा गया। सफल संवेदक द्वारा भवन निर्माण विभाग का रजिस्ट्रेशन समर्पित नहीं किया गया। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 13.05.2016 थी जिसका विस्तार नहीं किया गया। बावजूद संवेदक द्वारा कार्य किया जा रहा था तथा दिसम्बर 16 तक मात्र 1954385 का कार्य किया गया था। इस प्रकार सही मानकों को अनदेखी करते हुए कार्य आदेश दिया गया। इस प्रकार संवेदकों को अदेय सहायता पहुँचाया गया।

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि जॉचोपरान्त कार्रवाई कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

कृत कार्रवाई से महालेखाकार कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित किया जाए।

कंडिका 2 <u>बैंक खातों में प्राप्त ब्याज राशि को सरकार को वापस नहीं किया जाना रू0 17.15 लाख</u>

वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–को0प्र0/विविध–06/2015/4349; दिनांक–12.05.15 के अनुसार स्थानीय अभिकरणों द्वारा राज्य सरकार से सहायक अनुदान के रूप में प्राप्त राशियों को बैंक खातों में रखा जाता है। पी0एल0 खाते में जमा राशि सरकार के राजकोष में रहती है, लेकिन बैंक खातों में जमा राशि सरकार के राजकोष से बाहर रहती है जिससे राज्य का नगद अंतशेष कम होता है। उपरोक्त पत्रांक की कंडिका–1 में यह निर्देश दिया गया था कि जिला शहरी विकास अभिकरण के बैंक खातों में जमा अव्यवहृत राशि पी0एल0 खाते में जमा करायी जाए। अव्यवहृत लोक धन पर उदग्रहित ब्याज राशि को अभिकरण के खाते में आय के रूप में नहीं लिया जाए तथा ब्याज राशि सरकार को चेक के माध्यम से वापस की जाए ताकि उसे सुरक्षित शीर्ष में जमा कराया जाए।

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), सहरसा द्वारा संधारित विभिन्न रोकड़बहियों एवं बैंक पासबुक की जाँच में यह पाया गया कि डूडा, सहरसा द्वारा वर्ष 2010–11 से **दिसम्बर** 2016 के दौरान मुख्यमंत्री नगर विकास योजना, प्रशासनिक भवनों के निर्माण, नागरिक सुविधा आदि मद में प्राप्त सहायक अनुदान की राशियों को **तीन** बैंक खातों में जमा किया गया था, जिन पर ब्याज के रूप में कुल रू0 17,15,396 .00 प्राप्त किया गया था। परंतु, इस ब्याज राशि को वित्त विभाग के उपरोक्त पत्र के आलोक में सरकार के

खाते में वापस नहीं किया गया था तथा ब्याज राशियों को रोकड़बही में अभिकरण की आय के रूप में लिया गया था।

आपति के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि सूद की राशि सरकारी खाता में जमा कर दिया जाएगा।

राशि जमा कर लेखापरीक्षा को यथाशीघ्र अवगत कराया जाए।

कंडिका (3): <u>परिमाण विपत्र की राशि कोषागार में जमा नहीं किया जाना–रू0 16.66 लाख</u>

बिहार वित्तीय संहिता के नियम 37 एवं 52 सहपठित बिहार कोषागार संहिता के नियम 7 के तहत सरकार के प्राप्तियों को प्राप्त कर अगले सप्ताह तक निश्चित रूप से सरकार के संबंधित शीर्ष मे जमा करने का प्रावधान है। उन्हे अन्य विविध व्यय हेतु अनुमति नहीं है। विभागीय कार्यो में उपयोग करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा।

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), **सहरसा** के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन निविदा के माध्यम से किया गया था। निविदाओं की परिमाण विपत्र (बी0ओ0क्यू0) की बिकी की राशि निविदादाताओं द्वारा बैंक ड्राफ्ट/चेक द्वारा जमा की गई थी, जिसे डूडा कार्यालय द्वारा **बैंक मे जमा किया जाता रहा है**। परन्तु, यह **राशि** डूडा कार्यालय द्वारा सरकार के संबंधित शीर्ष मे जमा नहीं की गयी थी। **वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक कुल रु 16,65,500.00 बी ओ क्यू के** बिकी **से प्राप्त हुआ था जिसे अभी तक इससे सम्बंधित सरकार के शीर्ष मे जमा नहीं किया गया**। इस प्रकार सरकारी धन को लगभग **छह** साल से कार्यालय द्वारा अवरूद्ध करके रखा गया।

आपत्ति के आलोक में कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि विभाग से अभी तक इस संबंध में दिशा निर्देश अप्राप्त है। प्राप्त होते ही राशि सरकारी खाते में जमा कर दी जाएगी।

जवाब संतोषप्रद नहीं है क्योंकि यह सरकारी दिशानिर्देश के विपरीत है।

कंडिका (4): <u>योजना में अनियमितता</u>

योजना सं. :- 13F2/2010-11

योजना का नाम :- आजाद चौक से नन्हे सिंह के बगल होते हुए सुशील **यादव के घर के बगल से डा. पी.के. मल्लिक के हॉस्पिटल होते हुए चौक तक पथ का जीर्णोधार कार्य ।**

प्राक्कलित राशि :- 4423186

मापी की राशि :- 42,77,497 less 15% 3635872

योजना की स्थिति :- पूर्ण

अभिकर्ता का नाम :- M/S PUJA CONSTRUCTION, SAHRASA (15% below of estimate)

उपर्युक्त कार्य हेतु M/S PUJA CONSTRUCTION, SAHARASA **को कार्यादेश दिया गया था । कार्य शुरू करने की तिथि** 26.08.2010 **थी तथा कार्य** पूर्ण **करने की नियत तिथि** 23.11.2010 **थी । इस कार्यादेश में नाला का जीर्णोधार का कार्य भी** (रु.12,93,062) सम्मिलित **था । समीक्षा**

के दौरान यह पता चला कि मापी पुस्त के अनुसार कार्य 08.11.2010 को पूर्ण हो गया था जबकि दिनांक 25.01.2011 को कार्यपालक अभियंता डूडा, सहरसा द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र द्वारा यह सूचित किया गया कि उपरोक्त योजना में नाला निर्माण का कार्य अतिक्रमण के कारण बाधित है तथा अतिक्रमण हटवाने का अनुरोध किया गया था। इससे यह पता चलता है की दिनांक 25.01.2011 तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ था।

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि जॉचोपरान्त कार्रवाई कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

कृत कार्रवाई से लेखापरीक्षा को यथाशीघ्र सूचित किया जाए।

कंडिका (5): सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता

1	एकरार नामा सं0	07 F2/2014–15 मापी पुस्त संख्या 09/2014–15
2	योजना का नाम	गॉधी पथ से रमेश झा महिला कॉलेज तक पी.सी.सी. सड़क निर्माण
3	प्राक्कलित राशि	रू0 49,70,800.00
4	तकनीकी स्वीकृति	कार्यपालक अभियंता/13.11.2013
5	प्रशासनिक अनुमोदन	प्रस्तुत नहीं।
6	संवेदक का नाम	श्री धीरेंद्र प्रसाद कुँवर
7	कार्य आरंभ करने की तिथि	20.07.2014
8	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	19.11.2014
9	कार्य की वर्तमान स्थिति	अभी तक अपूर्ण (12.01.2017)
10	एकरारनामा की राशि	रू0 4779635.00
11	भुगतान	रू0 2285349.00

अंकेक्षण टिप्पणी–

1. **कियान्वयन में घोर अनियमितता**

इस कार्य से संबंधित अभिलेख के जॉचकम में निम्न अनियमितता पाई गई

क.स.	अनियमितता	स्त्रोत	लेखापरीक्षा अभियुक्ति
1	जी.एस.बी. कार्य में स्टोन मेटल डस्ट के जगह लोकल मिट्टी भराई	कार्यपालक अभियंता डुडा सहरसा पत्रांक 401 दिनांक 29.12.14	जी.एस.बी. कार्य प्राक्कलन के अनुसार नहीं होने तथा बिना जे.ई. के उपस्थिति के सड़क निर्माण कार्य किये जाने के बावजूद उक्त कार्य के लिए पूर्ण भुगतान किया गया और अनियमित कार्य के लिए कोई कारवाई नहीं की गई।
2	पी.सी.सी. ढ़लाई कार्य के बाद पानी का पटवन नहीं किया जाना	कार्यपालक अभियंता डुडा सहरसा पत्रांक 127 दिनांक 11.04. 2015 तथा पत्रांक 361 दिनांक 04.12.2015	पी.सी.सी. ढ़लाई कार्य के बाद पानी नहीं पटाने के कारण सड़क की गुणवता प्रभावित होगी। इसके बावजूद उक्त कार्य के लिए पूर्ण भुगतान किया गया और अनियमित कार्य के लिए कोई कारवाई नहीं की गई।

उपरोक्त त्रुटिपूर्ण सड़क निर्माण कार्य किये जाने कारण सड़क की गुणवता प्रभावित होगी लेकिन इस सबके बावजूद संवदेक को किए भुगतान रू0 1779773.00 तथा संवेदक पर की गई कार्रवाई से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया।

2. **कियान्वयन में अनावश्यक विलम्ब**

एकरारनामा के अनुसार कार्य शुरू 20.07.2014 को करना था और 19.11.2014 को पूर्ण करना था। कार्य समाप्ति की तिथि से लगभग 14 महीने बीत जाने के बावजूद संवेदक द्वारा कार्य अभी तक (17.01.17) पूर्ण नहीं कराया गया।

3. **क्षतिपूर्ति शुल्क की कम वसुली – रू0 3.94 लाख**

एकरारनामा एवं बिहार लोक निर्माण विभाग के प्रपत्र एफ 2 के क्लाज 2 के अनुसार संवेदक द्वारा निर्धारित समय पर कार्य नहीं करनेपर क्षतिपूर्ति शुल्क के रूप में प्रत्येक विलम्ब दिवस हेतु प्राक्कलित राशि का 1/2 प्रतिशत राशि जो अधिकतम 10 प्रतिशत होगा, की कटौती का प्रावधान है।

उपर्युक्त योजना पूर्ण करने की तिथि से लगभग 14 महीना से अपूर्ण और इसके लिए अभिकर्ता से नियमानुसार प्राक्कलित राशि (49,70,800.00) की 10 प्रतिशत अर्थात 497080.00 की कटौती संवेदक से किया जाना था लेकिन अभिकरण द्वारा सिर्फ 103153.00 की कटौती की गई है इस प्रकार संवदेक को रू0 393927.00का अदेय सहायता दिया गया।

4. **<u>ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू 9.02 लाख)</u>**

निर्माण कार्य में संवदेकों के द्वारा व्यवहृत विभिन्न विषयांकित लघु खनिजों की खरीदगी बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से की जाती है तो इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवदेक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जाने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करा देंगें।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 844651.00 का भुगतान अभी तक किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 844651.00 का भुगतान अनियमित था।

क0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	स्टोन मेटल ग्रेड 2	36.75 m3	1721.00/m3	63247
2	गिट्टी	303.56 m3	1765.90/m3	536057
3	क्यूल बालू	128.30 m3	2355.88/m3	302259
कुल				901563

प्रपत्र M तथा N नहीं प्राप्त करने तथा स्वामित्व कर कटौती का कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि जॉचोपरान्त कार्रवाई कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

कंडिका (6): सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता

1	एकरारनामा सं0	03 F2/2013–14 मापी पुस्त संख्या 03
2	योजना का नाम	वार्ड नं0 14 त्रिमुर्ति चौक से जयनारायण पेषकार के घर होते हुए निर्मल यादव के घर तक पी.सी.सी. कार्य।
3	प्राक्कलित राशि	रू0 34,01,524.00
4	तकनीकी स्वीकृति	01.11.2013
5	प्रशासनिक अनुमोदन	23.11.2013 जिला पदाधिकारी, सहरसा
6	संवेदक का नाम	श्री कमलेश कुमार
7	कार्य आरंभ करने की तिथि	03.02.2014
8	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	02.06.2014
9	कार्य पूर्ण हुआ	13.05.2014
10	एकरारनामा की राशि	रू0 34,01,524.00
11	भुगतान	रू0 33,84,468.00 (पूर्ण)

अंकेक्षण आपतिः

1. **<u>ढुलाई पर अनियमित भुगतान (रू0 13.57 लाख)</u>**

निर्माण कार्य में संवदेकों के द्वारा व्यवहृत विभिन्न विषयांकित लघु खनिजों की खरीदगी बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972, के नियम 40(8) में उल्लेखित अभिकर्ता या उप पट्टाधारी से की जाती है तो इस नियमावली के नियम 40(10) के अनुपालन में संवदेक द्वारा प्रपत्र M तथा N में अपना शपथ पत्र के साथ कार्य विभाग में दाखिल करने का प्रावधान है ताकि कार्य विभाग द्वारा प्रपत्र M तथा N में दाखिल शपथ पत्र का सत्यापन जिला के संबंधित खनिज विकास पदाधिकारी, सहायक निदेशक या खान निरीक्षक से करवा सके। प्रपत्र M तथा N को असत्य पाये जाने या संवदेक द्वारा M तथा N में शपथ पत्र विपत्र के साथ दाखिल नहीं करने पर बिहार लघु खनिज समानुदान नियमावली 1972 के नियम 40(8) के अन्तर्गत लघु खनिज पर देय स्वामित्व के अतिरिक्त खनिज के मूल्य एवं अन्य कर आदि की कटौती उनके विपत्र से करके विभाग के बजट शीर्ष में संबंधित कार्य विभाग में जमा करा देंगें।

इस योजना में निम्न सामग्री के ढुलाई पर रू0 1356910.00 का भुगतान किया गया था। लेकिन प्रपत्र M तथा N प्राप्त नहीं किया गया था। अतः रू0 1356910.00 का भुगतान अनियमित था।

क0	सामग्री का नाम	मात्रा	ढुलाई दर	राशि
1	गिट्टी	460.94m3	1765.90/m3	813974.00
2	क्यूल बालू	230.46 m3	2355.88/m3	542936.00
कुल				1356910.00

2. बिहार लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार प्रत्येक Account Bill के भुगतान से पूर्व गुणवता जॉच कराना आवश्यक होगा उसके पश्चात ही भुगतान किया जाएगा। लेकिन इस नियम के विपरीत अभिकरण द्वारा सिर्फ एक बार गुणवता जॉच कराकर (दिनांक 15.03.2014) सभी Account Bill का भुगतान किया गया था जो नियमानुकूल नहीं है।

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि जॉचोपरान्त कार्रवाई कर लेखापरीक्षा को सूचित किया जायेगा।

कृत कार्रवाई से लेखापरीक्षा को यथाशीघ्र सूचित किया जाए।

भाग– III

नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी (TAN)

टिप्पणी– 1 पी0एल0 खाता का संधारण नहीं किया जाना

वित्त विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक– एम–4–12/2013/3608/वि; दिनांक – 09.04.2015 के अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत गठित निगम/बोर्ड/प्राधिकार/अभिकरण/एजेंसी/सोसाइटी/Special Purpose Vehicles आदि संस्थानों का, जो राज्य सरकार से किसी भी रूप में (यथाः अनुदान, ऋण, सेंटेज पर कार्य करने आदि) धन प्राप्त करती है, व्यक्तिगत लेखा खाता (पी0एल0 खाता) खोला जाएगा। साथ ही, यह निर्देश भी दिया गया था कि उपरोक्त संस्थाओं को तत्काल पी0एल0 खाता खोलकर उनके बैंक खाते में अब तक संचित राशि को 30 अप्रैल 2015 तक पी0एल0 खाते में जमा करा दिया जाए। आगे, उपरोक्त पत्रांक की कंडिका–2 में यह निर्देश दिया गया था कि विभिन्न विभागों द्वारा उपरोक्त संस्थाओं के माध्यम से व्यय की जाने वाली केन्द्रांश/वित्त आयोग अथवा बाह्य संपोशित योजना से संबंधित राशि की निकासी भी पी0एल0 खाता के माध्यम से की जाएगी।

जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा), सहरसा द्वारा संधारित अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि डूडा, सहरसा द्वारा वर्ष 2010–11 से दिसम्बर 2016 के दौरान मुख्यमंत्री नगर विकास योजना, प्रशासनिक भवनों के निर्माण, नागरिक सुविधा आदि मद में प्राप्त सहायक अनुदान की राशियों के वित्तीय संव्यवहारों के लिए तीन बैंक खातों का संधारण किया गया था। परंतु, कोई पी0एल0 खाता संधारित नहीं पाया गया।

(2

जवाब में यह बताया गया कि विभाग से पी0एल0 खाता खोलने का निर्देश अब तक अप्राप्त है। निर्देश प्राप्त होने के तत्पश्चात् पी0 एल0 खाता खोला जाएगा।

टिप्पणी– 2 <u>रोकड़बही में त्रुटियाँ</u>

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण, सहरसा के लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि कार्यालय द्वारा संधारित रोकड़बही में निम्नलिखित त्रुटियाँ पायीं गयीं:–

(i) अलग– अलग मदवार सहायक रोकड़ बही (Subsidiary Cash Book) संधारित नहीं थी।

(ii) रोकड़वही में बहुत सारे राशि को काटकर लिखा गया था तथा कुछ इंट्री पेंसिल से भी की गयी थी।

(iii) रोकड़बही प्रतिदिन close नहीं किया जा रहा था तथा ना ही सत्यापित किया जा रहा था।

(iv) कय अभिश्रव में अभिश्रव संख्या नहीं पाया गया तथा पेड एंड केंसलड का मोहर नहीं पाया गया।

कार्यालय द्वारा जवाब में बताया गया कि संबंधित कर्मचारियों के कमी के कारण त्रुटि हुई है। भविष्य में ध्यान रखा जाएगा।

–हस्ता0–
(भैरव कुमार)
व0ले0प0अ0
–अनुमोदित–
उप महालेखाकार (सा0प्र0–I/स्था0नि0)

परिशिष्ट-I

अप्रस्तुत अभिलेख

कार्यालय जिला शहरी विकास अभिकरण सहरसा के लेखापरीक्षा के दौरान कार्यालय द्वारा निम्नलिखित महत्पूर्ण दस्तावेजों/पंजियों का प्रस्तुत नहीं किया गया थाः–

(i) वार्षिक लेखा (Annual Accounts)

(ii) परिसंपत्ति पंजी (Asset Register)

(iii) अग्रिम पंजी (Advance Register)

(iv) योजना की भौतिक एवं वितीय प्रगति प्रतिवेदन

(v) पंजियों की पंजी (Register of Register)

(vi) स्वीकृत एवं कार्यरत बल से संबंधित विवरणी

(vii) सेवा पुस्तिकाओं की सूची, व्यक्तिगत संचिका एवं अवकाश लेखे सहित